वकील पक्षकारान हाजिर। [illegible]
अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त
है। पत्रावली दिनांक 02/03/21 को पेश हो।

01/3/21

वकील [illegible] के द्वारा पूर्व के आधार पर मूल वाद बिंदु खारिज हो चुका है इस प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है लिखित प्रा. पत्र की कार्यवाही हाथ कर खारिज किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा नगरी ता. सिरोह वि०२८५ को निरस्त किया जाता है पत्रावली कोर्ट में कुमार [illegible] मूल वाद [illegible]

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.27 13:10:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner